

इन्दौर शहर मे साँची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु

ॐ आवेदन पत्र ॐ



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535 FAX 2802559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर



सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :-

—	समाचार पत्र विज्ञापन (छायाप्रति)	01	पेंज
—	आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण —	01	पेंज
—	तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 01)	02	पेंज (पृष्ठ क्रमांक 01 से 02)
—	नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 02)	04	पेंज (पृष्ठ क्रमांक 03 से 06)
—	आवेदन पत्र (हस्तलिपि से भरा जाना है)	02	पेंज (पृष्ठ क्रमांक 07 से 08)
—	अनुबंध का प्रारूप (प्रपत्र 03)	04	पेंज (पृष्ठ क्रमांक 09 से 11)

-X-

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
दूरभाष - 0731-2802535 FAX - 2811559

घी/दूध सुपर स्टाकिस्ट, दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं अपकन्ट्री क्षेत्र में वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

- (1) घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन :- इन्दौर शहर में साँची घी के वितरण कार्य हेतु सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के लिये पार्टी अपने आवेदन दिनांक 14/02/17 दोप. 1.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (2) दूध-दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु आवेदन :- दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र यथा - मून्दी (खंडवा), ओंकारेश्वर, बडवाह, सनावद, मनावर, राजगढ (धार) खंडवा अतिरिक्त, राऊ-महू, पीथमपुर, हाटपिपलिया,(देवास) धूलकोट (खरगौन) शहरों में दूध एवं दुग्ध पदार्थ के लिये अतिरिक्त वितरक नियुक्त किया जाना है। जिसके लिये आवेदन फार्म दिनांक 13/02/17 दोप. 1.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।
- (3) दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता ई-निविदा (तृतीय निविदा) :- इन्दौर शहर में साँची दूध के लिये वितरण व्यवस्था हेतु 27 ज़ोन में दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति ई-निविदा के माध्यम से दिनांक 14/02/2017 दोपहर 1.30 बजे तक ऑन लाईन भरे जा सकेंगे।

निविदा सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईड साईड <http://WWW.mpeproc.gov.in> से डाउन लोड कर देखा जा सकता है, साथ ही वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी निविदा विवरण देखा जा सकता है। किसी भी भाव आर्फर/निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

सुपर स्टाकिस्ट (सॉची घी) एजेन्सी आवंटन हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण

- | | | |
|---|---|--|
| (1) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। | ■ | 14/02/2017 दोप.1.00 बजे तक। |
| (2) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय। | ■ | 14/02/2017 दोप. 1.30बजे तक। |
| (3) आवेदन पत्र खोलने की तिथि एवं समय। | ■ | 14/02/2017,दोप.2.30 बजे। |
| (4) आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। | ■ | रु. 1,00,000/-
(अक्षरी रु. एक लाख मात्र) |
| (5) आवेदन पत्र खोलने का स्थान | ■ | इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर |
| (6) सुपर स्टाकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 01 |
| (7) सुपर स्टाकिस्ट की सामान्य शर्ते। | ■ | प्रपत्र 02 |
| (8) अनुबंध प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 03 |

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताये" प्रपत्र क्रमांक 01 "सामान्य शर्ते एवं अनुबंध प्रपत्र 02 & 03" बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर "सुपर स्टाकिस्ट घी हेतु आवेदन" लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता (Mob.No.) अंकित किया जावे।
- आवेदन पत्र मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आवेदन कर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेगे।
- आवेदक द्वारा प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 प्रपत्र के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

-X-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन बाबद।
महोदय,

साँची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु दिनांक 04/02/17 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 1,00,000/- (अक्षरी रु एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक /02/2017 जो कि बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	(अ) टीन नम्बर। (ब) फुड एण्ड सेफ्टी लायसंस।		टीन नम्बर/फुड एण्ड सेफ्टी लायसंस की छायाप्रति संलग्न करें।
6.	साँची घी वितरण चार हेतु उपलब्ध वाहनों का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे।
7.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।

8.	विगत तीन वित्तीय वर्ष। (कर निर्धारण वर्ष 2013-14, 14-15 & 15-16) विक्रय कर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
----	--	--	---

नोट :-

- 1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- 2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 आवेदन की शर्तें प्रपत्र क्रमांक 02 में प्रस्तुत की जा रही हैं।
- 3- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर सॉची सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी, जो मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर

नाम - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

- - - - -

दूरभाष नम्बर

Mob No.

...../3/.....

ॐ साँची घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन हेतु ॐ

आवश्यक शर्तें

- (1) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो एवं पेनकार्ड की प्रति लगाना अनिवार्य है।
- (2) आवेदक को आवेदन के साथ रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू एक लाख मात्र) डी.डी./NEFT/RTGS के माध्यम से अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगे। विगत माह अक्टोबर-2016 में जारी विज्ञापन अनुसार जिन आवेदकों की EMD राशि जमा है, उनकी EMD राशि मान्य की जावेगी। उन्हें पृथक से EMD राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन के निराकरण पश्चात, अर्नेस्ट मनी अस्वीकृत आवेदकों को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (3) सुपर स्टाकिस्ट को संघ में प्रतिभूति राशि रू. पचास लाख एवं रू. पचास लाख की बैंक ग्यारन्टी अथवा संयुक्त नाम से F.D.R. जमा कराना होगी।
- (4) सुपर स्टाकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत वित्तीय वर्ष 2013-14, 14 - 15 & 15 - 16 का कुल टर्न ओव्हर राशि रू. 120 करोड़ (अक्षरी रू. एक सौ करोड़) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू.40 करोड़ होना आवश्यक है। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु उसे विक्रय कर निर्धारण हेतु तीनो वर्ष की रिटर्न की प्रति एवं साथ ही तीनों वर्षों का अंकेक्षित बैलेन्सशीट, बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) सुपर स्टाकिस्ट को घी के निर्धारित मापदंडों से सुसज्जित व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम चार वाहन जो कि तीन ओर से कर्हड होकर एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, ताकि संघ उस स्थान पर विज्ञापन के विनायल लगा सके। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होंगे। वाहन पर संलग्न किये जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाईल नम्बर आदि) वैध लायंसस की छायाप्रति कार्यालय में देना होगी। इसी तरह उक्त स्टाफ में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्त अनुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मियों के लिये भी रहेंगे।
- (6) सुपर स्टाकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व संघ को लिखित में अथवा मेल द्वारा देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार घी का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डाक से निर्धारित समय में किया जावेगा।

- (7) संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय किये गये घी की राशि का भुगतान संघ को निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राशि की व्यवस्था सुपर स्टाकिस्ट को अपने खाते में सुनिश्चित करना होगी। धनादेश में की गयी गलतियाँ एवं उस पर विलम्ब होने से दंड स्वरूप आरोपित राशि का भुगतान अलग से वसूल किया जावेगा।
- (8) सुपर स्टाकिस्ट को घी प्राप्त करते समय उसकी जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट-फूट, हानि की जिम्मेदारी सुपर स्टाकिस्ट की रहेगी। संघ से प्राप्ति पश्चात किसी भी लीकेज इत्यादि के लिये संघ द्वारा रिप्लेसमेन्ट आदि नहीं किया जावेगा।
- (9) सुपर स्टाकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रु. 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टाकिस्ट को दो वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा, तत् पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक - एक वर्ष कर तीन वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। अनुबंध अवधि में कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आवंटित कार्य निरस्त किया जा सकेगा। नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर संयुक्त नाम (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इ. स. दु. सं. एवं पार्टी नाम) से क्रय करना अनिवार्य है।
- (10) किसी भी विपरीत व्यापारिक परिस्थिति में संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- (11) संघ से क्रय की गई घी मात्रा की राशि RTGS/चैक के माध्यम से संघ खाते में जमा करवानी होगी। सुपर स्टाकिस्ट द्वारा संघ में जमा बैंक ग्यारन्टी/F.D.R. की 80% राशि का घी ही प्रदाय किया जावेगा।
- (12) सुपर स्टाकिस्ट को इन्दौर, शहर में सीधे वितरक नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, किन्तु महू एवं आस-पास के क्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
- (13) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा उठायी गई घी मात्रा के विरुद्ध संघ द्वारा राशि वसूली हेतु उनके खाते से जारी किये गये चैक अनादृत होते हैं तो निम्नानुसार चैक बाउंस दंडित राशि वसूली/कार्यवाही की जावेगी, जो कि बंधनकारी होगी :-
- (अ) रु. 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादृत होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु. 1000/- के मान से होगी। रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादृत होने पर अर्थदंड रु. 2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
- (ब) यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के भीतर सुपर स्टाकिस्ट द्वारा लागू अर्थ दंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8 वें दिवस से 14 वें दिन के लिए अर्थ दंड की राशि रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु. 2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।/5/.....

- (स) यदि इसके पश्चात् भी सुपर स्टाकिस्ट द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थ दंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थ दंड की राशि रु. 3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी ।
- (द) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद/चैक से जमा करना होगा ।
- (14) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा यदि वर्तमान विक्रय मात्रा को बढ़ाकर डेढ गुणा या जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। सुपर स्टाकिस्ट को दिये जाने वाले मार्जिन की 50% राशि का भुगतान ही किया जावेगा, एवं लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा के पश्चात अनुपातिक रूप से प्रबंध द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही शेष राशि का भुगतान किया जावेगा, तथा सुपर स्टाकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- (15) नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टाकिस्ट को कम से कम 05 योग्य विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर इन्दौर शहर हेतु रखना होगा एवं उनकी आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगा।
- (16) पूर्व में संघ में कार्य कर चुके सुपर स्टाकिस्ट/वितरक जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो एवं वित्तीय अनियमितता हो ऐसे वितरक जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तथा जो अन्य दुग्ध संघों में किसी भी रूप में व्यवसायरत (सुपर स्टाकिस्ट/वितरक/विक्रेता/ठेकेदार आदि) हो वे इन्दौर सह.दुग्ध संघ की किसी भी निविदा/व्यवसाय सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपात्र रहेंगे।
- (17) आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है, का प्रमाण पत्र उनके निवास क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय पुलिस थाने से लेकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (18) सुपर स्टाकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा। ब्राण्ड प्रमोशन की गतिविधियों में स्टाकिस्ट की सहभागिता हेतु पहल पर उसका व्यय आपसी सहमति पर निर्धारित होगा। संघ स्तर पर स्टाकिस्ट, वितरक – सह वितरक को किसी विज्ञापन में सम्मिलित करने पर उस विज्ञापन हेतु कुल व्यय की राशि का पूर्व अथवा पार्ट भुगतान निर्धारित होने पर उसका भुगतान स्टाकिस्ट को करना होगा।
- (19) स्टाकिस्ट हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सभी अथवा किसी भी आवेदक से घी व्यवसाय सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबंध स्वतंत्र होगा।

- (20) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- (21) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- (22) सुपर स्टाकिस्ट को परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन भाडा नहीं दिया जावेगा।
- (23) सुपर स्टाकिस्ट का कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर एवं महू क्षेत्र होगा। क्षेत्र के बाहर यदि माल प्रदाय किया जाता है तो प्रबंध द्वारा लिए गये निर्णय की समस्त जवाबदारी सुपर स्टाकिस्ट की होगी।
- (24) स्टाकिस्ट नियुक्त होने पश्चात किसी वाद-विवाद पर आर्बिटेशन की व्यवस्था होगी। जिस हेतु अध्यक्ष, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय मान्य होगा।
- (25) व्यापार हेतु वाद-विवाद पर इन्दौर न्यायलयीन क्षेत्र प्रभावशील रहेगा।
- (26) उपरोक्त शर्तों पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण आवेदन सहायक महाप्रबंधक (विपणन) अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

मेरे द्वारा साँची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें ठीक से पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक

—हस्ताक्षर—

(आवेदक का नाम एवं पता)

❖ सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवेदन पत्र ❖

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

- 1- आवेदक का नाम ■ _____
- 2- पिता/पति का नाम ■ _____
- 3- स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) _____
- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
(ब) मोबाईल नं. ■ _____
(स) पेनकार्ड नं. ■ _____
(द) टीन नं. ■ _____
- 4- शैक्षणिक योग्यता ■ _____
- 5- आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ _____
- 6- वर्तमान व्यवसाय ■ _____
- 7- वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ■ _____

...../8/...

- 8- वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ _____
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। _____
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। _____
- (गत तीन वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करें। _____
- 9- सुपर स्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ _____
- 10- (अ) पान नम्बर ■ _____
- (ब) सर्विस टेक्स नम्बर। ■ _____
- (स) आधार कार्ड नम्बर। _____
- (तीनो दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)
- 11- वाहन व्यवस्था (स्वयं का वाहन होना आवश्यक) वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें, एवं विवरण दे। ■ _____
- 12- धरोहर राशि। ■ रू. _____
- (D.D./M.R. क्रमांक)
- दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)

दिनांक

—आवेदक के हस्ताक्षर—

(पूरा नाम)
(Mob. No.)

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चादां तलावली, ए.,बी.रोड, मांगलिया, इन्दौर जिसे आगे "प्रथम पक्ष" एवं मेसर्स श्री-----पता ----- जिन्हे आगे "द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न शर्तों पर केवल इन्दौर शहर सीमा एवं सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में सॉची घी सुपर स्टाकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :-

- (1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची घी वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण इन्दौर शहर एवं इनसे सम्बद्ध कस्बों हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टाकिस्ट वितरक नियुक्त किया गया है।
- (2) यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में प्रतिभूति स्वरूप राशि रु. 50,00,000/- (अक्षरी रु. पचास लाख मात्र) नगद एवं रु. पचास लाख की बैंक ग्यारन्टी/संयुक्त F.D.R. जमा की गई है, इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा माल प्रदायगी रोक दी जावेगी।
- (3) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त दैनिक उठाये जाने वाले घी की राशि नगद इन्दौर दुग्ध संघ, इन्दौर में जमा कर जमा रसीद (M.R.) की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी घी का प्रदाय किया जा सकेगा। अथवा अग्रिम चैक (भारतीय स्टेट बैंक) संघ कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
- (4) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को उनकी जमा बैंक ग्यारन्टी का 80 % तक का माल प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को मान्य करना अनिवार्य होगा।
- (5) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट को उनकी मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार घी का प्रदाय विभिन्न पैकिंग में करेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट उसी ईकाई/केस/कार्टन (01 Lit., 500, 200 M.L. & 05, 15 किलो के टिन पैक में) विक्रय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। खुल्ला घी विक्रय नहीं कर सकेगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 8.00 से सायं 5.00 बजे के मध्य दिन में एक बार घी का प्रदाय किया जावेगा।
- (6) यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करे कि द्वितीय पक्ष सॉची घी विक्रय का वितरण समान रूप से, वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से घी की आपूर्ति करेगा, एवं इस बात की तस्दीक करेगा कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन् कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जान बूझ लापरवाही की जा रही है, पाया जाता है तो उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टाकिस्ट एजेन्सी समाप्त करने हेतु अधिकार सुरक्षित रखता है।

...../10/....

- (7) यह कि द्वितीय पक्ष को घी विक्रय वृद्धि हेतु संघ द्वारा विक्रय लक्ष्य दिये जावेगे जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
- (8) सुपर स्टाकिस्ट द्वारा यदि वर्तमान विक्रय को डेढ गुणा या जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टाकिस्ट को दी जावेगी, उसकी 50% राशि संघ सुपर स्टाकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टाकिस्ट की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- (9) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छे: माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेन्सी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
- (10) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा घी वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित में प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
- (11) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई घी मात्रा का लेखा जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम. एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
- (12) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
- (13) यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले घी पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
- (14) द्वितीय पक्ष को आयकर PAN No. एवं विक्रय कर सम्बन्धी किन्हीं भी आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दौनो दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्त्रि सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

- (15) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट उन्हें सील बन्द ईकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला घी नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियाँ भी कार्यालय में 03 घण्टे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
- (16) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट द्वारा घी वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा।
- (17) यह कि द्वितीय पक्ष "सॉची" घी विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टाकिस्ट वितरक नियुक्त है, अतः छोटे छोटे व्यापारियों /वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी सम्बन्ध बना कर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड घी विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
- (18) यह कि उक्त अनुबंध को प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटीस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दौनो पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
- (20) यह कि उक्त अनुबंध दौनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील/बन्धनकारी रहेगा।
- (21) यह कि उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष/सुपर स्टाकिस्ट पक्ष की सहमति भी ली जावेगी।
- (22) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं दौनो पक्षों को मान्य होगा।
- (23) यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, सहकारी न्यायालय, इन्दौर रहेगा।

उपरोक्त शर्तों पर दौनो पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दौनो पक्षों को मान्य है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

(-----S/O -----)

⊗ गवाह ⊗

मून्दी (जिला खंडवा) / औंकारेश्वर / बडवाह शहर /
सनावद शहर / मनावर / राजगढ (जिला धार)
/ खंडवा शहर / राऊ-महू / पीथमपुर
हाटपिपलिया (जिला देवास) /
धूलकोट (जिला खरगौन)
मे
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु ।

ॐ आवेदन पत्र ॐ
2017 – 18



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभा T 0731- 2802535 FAX 2802559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर



अपकन्द्री क्षेत्रों मे सॉची दूध – दुग्ध पदार्थ वितरक नियुक्ति
आवेदन पत्र

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| – समाचार पत्र विज्ञापन (छायाप्रति) | 01 पेंज |
| – आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण – | 01 पेंज |
| – तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 01) | 02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 01 से 02) |
| – नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 02) | 04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 03 से 04) |
| – आवेदन पत्र (हस्तलिपि से भरा जाना है) | 02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 05 से 06) |
| – अनुबंध का प्रारूप (प्रपत्र 03) | 04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 07 से 11) |

-X-

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
दूरभाष - 0731 -2802535 FAX - 2811559

घी/दूध सुपर स्टाकिस्ट, दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं अपकन्ट्री क्षेत्र में वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

- (1) घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन :- इन्दौर शहर में साँची घी के वितरण कार्य हेतु सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के लिये पार्टी अपने आवेदन दिनांक 14/02/17 दोप. 1.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (2) दूध-दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु आवेदन :- दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र यथा - मून्दी (खंडवा), ओंकारेश्वर, बडवाह, सनावद, मनावर, राजगढ (धर) खंडवा अतिरिक्त, राऊ-महू, पीथमपुर, हाटपिपलिया,(देवास) धूलकोट (खरगौन) शहरों में दूध एवं दुग्ध पदार्थ के लिये अतिरिक्त वितरक नियुक्त किया जाना है। जिसके लिये आवेदन फार्म दिनांक 13/02/17 दोप. 1.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।
- (3) दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता ई-निविदा (तृतीय निविदा) :- इन्दौर शहर में साँची दूध के लिये वितरण व्यवस्था हेतु 27 ज़ोन में दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति ई-निविदा के माध्यम से दिनांक 14/02/2017 दोपहर 1.30 बजे तक ऑन लाईन भरे जा सकेंगे।

निविदा सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईड साईड <http://WWW.mpeproc.gov.in> से डाउन लोड कर देखा जा सकता है, साथ ही वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी निविदा विवरण देखा जा सकता है। किसी भी भाव आर्फर/निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

विज्ञापन

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

वितरक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु (मून्दी/ओंकारेश्वर/बडवाह शहर/सनावद शहर/मनावर/राजगढ जिला धार/खंडवा शहर/राऊ-महू/पीथमपुर/हाटपिलिया जिला देवास/धूलकोट खरगौन) विवरण ।

आवेदन फार्म

- (1) आवेदन फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय ।
13/02/2017 दोप.1.00 बजे तक ।
- (2) आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय ।
13/02/2017 दोप.1.30 बजे तक ।
- (3) आवेदन खोलने की तिथि एवं समय ।
13/02/2017 दोप.3.00 बजे ।
- (4) आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि ।
रु.20,000/-अक्षरी रु. बीस हजार मात्र)
- (5) आवेदन खोलने का स्थान
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
- (6) वितरक हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप ।
प्रपत्र 01
- (7) वितरक की सामान्य शर्तें
प्रपत्र 02
- (8) अनुबंध प्रारूप ।
प्रपत्र 03

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 "तकनीकी अर्हताये" प्रपत्र क्रमांक 02 "आवेदन की शर्तें एवं अनुबंध प्रपत्र 03" बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे (मून्दी/ओंकारेश्वर/बडवाह शहर/सनावद शहर/मनावर/राजगढ (जिला धार)/खंडवा शहर(अतिरिक्त)/राऊ-महू/पीथमपुर/ हाटपिलिया जिला देवास/धूलकोट(जिला खरगौन) वितरक एजेन्सी के लिये नीचे आवेदनकर्ता का नाम एवं पता अंकित किया जावे ।
- आवेदन प्रपत्र क्रमांक 02 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदक की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी ।

-X-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- _____ शहर साँची वितरक के लिये तकनीकी जानकारी बाबद।

महोदय,

_____ शहर मे दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरकशिप कार्य हेतु दिनांक 04/02/17 को दैनिक भास्कर, समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा _____ हेतु आवेदन प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 20,000/- (अक्षरी रु बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक 2017 जो कि बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	आवेदक का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	टीन नम्बर/सर्विस टेक्स नम्बर।		टीन नम्बर/सर्विस टेक्स नम्बर की छायाप्रति संलग्न करे।
6.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।

7.	वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 2015-16 विक्रय कर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।
8.	दूध व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव। (कितने वर्षों का दर्शावे)		
9.	पूंजी निवेश क्षमता रूपये (लाख में)		
10.	व्यवसायीक साख (वर्तमान व्यवसाय टर्न ओव्हर बेलेन्स शीट की प्रति संलग्न करें)		
	वर्ष 2013 – 14	वार्षिक टर्न ओव्हर	रु. (लाख में)
	वर्ष 2014 – 15	" " " "	(" ")
	वर्ष 2015 – 16	" " " "	(" ")
11.	इफ्रॉस्ट्रक्चर जानकारी :-		

(अ)	कार्यालय स्थिति	करे।	उपलब्ध	अनउपलब्ध
(ब)	कर्मचारी संख्या	करे।	उपलब्ध	अनउपलब्ध
(स)	वितरण वाहन	करे।	उपलब्ध	अनउपलब्ध
(द)	प्रशीतन उपकरण	करे।	उपलब्ध	अनउपलब्ध

नोट :-

- 1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- 2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें प्रपत्र क्रमांक 02 एवं अनुबंध प्रारूप प्रपत्र 03 साथ एक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी।
- 3- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम — — — — —

पता — — — — —

— — — — —

— — — — —

सॉची दूध-दुग्ध पदार्थ (अपकन्त्री क्षेत्र) वितरक हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के

नियम एवं आवश्यक शर्तें

- (1) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- (2) आवेदक को दूध व्यवसाय से संबंधित उत्पादों के वितरण का अनुभव होना चाहिये, तथा दूध वितरण का अनुभव रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- (3) आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
- (4) ऑफर स्वीकार होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को शीतलीकरण सहित दूध के भंडारण की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- (5) ऐसे आवेदनकर्ता जिनके पास दूध एवं दुग्ध पदार्थों को दिनभर शीतलीकरण अवस्था में रखकर विक्रय करने हेतु फ्रिजिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
- (6) वर्तमान में कार्यरत वितरक एवं ऐसे आवेदक जिन्हें दुग्ध संघ द्वारा टरमिनेट किया गया हो वे आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपात्र रहेंगे।
- (7) वितरक नियुक्ति होने पर क्षेत्र में सभी दुकानों पर वितरण करना होगा।
- (8) आवेदनकर्ता के पास आयकर पान नम्बर एवं सर्विस टैक्स नम्बर होना चाहिये।
- (9) आवेदक को आवेदन के साथ रु. 20,000/- (अक्षरी रु बीस हजार मात्र) डी.डी. अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे स्वतः निरस्त माने जावेगे। पूर्व में संघ में अन्य मद में जमा EMD/प्रतिभूति मान्य नहीं की जावेगी।
- (10) ऑफर स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदक की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- (11) आवेदनकर्ता का ऑफर स्वीकृत होने की स्थिति में निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है। जिसमें प्रतिभूति के रूप में रु. 2.00 लाख की बैंक ग्यारन्टी एवं अनुमानित विक्रय की मात्रा की राशि के तीन गुणा न्यूनतम राशि पृथक से अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है। जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। संघ की नीति अनुसार दैनिक प्रदाय दूध मात्रा की राशि R.T.G.S./ N.E.F.T. के द्वारा संघ के बैंक खाते में प्रदाय वाले दिन ही जमा करना होगी।

...../4/.....

- (12) आवेदक को विगत 03 वर्ष के व्यवसाय अंतर्गत न्यूनतम रू. 02 करोड का टर्न ओव्हर होना आवश्यक है।
- (13) आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
- (14) ऑफर स्वीकृति की स्थिति में सफल आवेदनकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध रू. 1000/- के नाने ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा।
- (15) किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- (16) आवेदन प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है, जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़कर समझ ले।
- (17) प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 प्रपत्र -3 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत की जावे।
- (18) ऑफर स्वीकृति के उपरांत वितरक को कार्य अवधि दो वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक का कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकेगी। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर प्रबंध पक्ष द्वारा ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
- (19) कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताये निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंध द्वारा निर्णय लेने पर अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
- (20) वितरक का चयन आवेदक की व्यवसायीक साख, पूंजी लगाने की क्षमता, FMCG व्यवसाय का अनुभव, एवं उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर गठित चयन समिति की अनुशंसा आधार पर किया जावेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरकशिप का आवेदन प्रपत्र एवं अनुबंध की समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 20 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

—हस्ताक्षर—

(आवेदक का नाम एवं पता)

----- शहर हेतु

❖ साँची दूध वितरक हेतु आवेदन प्रपत्र एवं शर्तें_❖

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करे

- 1- आवेदक का नाम ■ _____
- 2- पिता/पति का नाम ■ _____
- 3- स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) _____
- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
(ब) मोबाईल नं. ■ _____
(स) पेनकार्ड नं. ■ _____
- 4- शैक्षणिक योग्यता ■ _____
- 5- आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ _____
- 6- वर्तमान व्यवसाय ■ _____

- 7- वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ _____
- 8- वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ■ _____
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। _____
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। _____
(गत तीन वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करें।
- 9- वितरकशिप हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ _____
- 10- (अ) पान नम्बर ■ _____
(ब) सर्विस टेक्स नम्बर। ■ _____
(स) आधार कार्ड नम्बर। ■ _____
(तीनों की एक-एक छायाप्रति संलग्न करें)
- 11- धरोहर राशि। ■ रू.— _____
(D.D./M.R. क्रमांक)
दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)
- 12- ———शहर में वर्तमान प्रचलित संघ नीति अनुसार निर्धारित वितरक मार्जिन/ विक्रेता मार्जिन (जो क्रमशः पैसे 35 एवं रू. 1.90 प्रतिलीटर है) पर कार्य सहमति सहित आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। उपरोक्त वितरक मार्जिन/विक्रेता मार्जिन भविष्य में संघ की नीति अनुसार परिवर्तनशील होगा।

दिनांक

—आवेदक के हस्ताक्षर—

(पूरा नाम)

ॐ अनुबंध ॐ

यह अनुबंध आज दिनांक _____ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री _____ पिता श्री _____ निवासी _____ को बतौर दूध-दुग्ध पदार्थ के वितरक की हैसियत से जिसे अनुबंध में आगे द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है। _____ शहर हेतु दुग्ध संघ द्वारा दिनांक _____ से आगामी आदेश तक के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया जा रहा है, इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक (द्वितीय पक्ष) कार्य संपादित करेंगे।

- 1- यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है, तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह कि न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित नोटिस वितरक का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
- 2- यह कि वितरक को दुग्ध संघ के पास राशि रु. 2.00 लाख की बैंक ग्यारन्टी एवं अनुमानित विक्रय की मात्रा की राशि के तीन गुणा न्यूनतम राशि पृथक से अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है। जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। संघ की नीति अनुसार दैनिक प्रदाय दूध मात्रा की राशि R.T.G.S./N.E.F.T. के द्वारा संघ के बैंक खाते में प्रदाय वाले दिन ही जमा करना होगी।
- 3- यह कि वितरक _____ शहर सीमा में आने वाले समस्त पार्लर/डिपो/शासकीय संस्था जो कि वर्तमान में संचालित है, में अपने स्तर पर विक्रय वृद्धि हेतु प्रयास करना होगा।
- 4- यह कि वितरक द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरीयल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धी, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व कानूनी प्रक्रियाओं से परे होगा।
- 5- यह कि संघ से प्राप्त किये गये सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ का विपणन कार्य सिर्फ इन्श्यूलेटेड वाहन द्वारा ही करेगा।/8/....

- 6- यह कि वितरक एजेन्टों की दूध एवं दुग्ध पदार्थों की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी किसी भी स्थिति में अपने मर्जी से घटायेंगे/बढ़ायेगें नहीं।
- 7- यह कि वितरक को ----- स्थानीय स्तर पर वितरण व्यवस्था संचालन हेतु अपने स्वयं के व्यय एवं जिम्मेदारी पर कर्मचारी नियुक्त करना होगा। जो संघ हित प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत माने जावेगे।
- 8- यह कि वितरक द्वारा दुग्ध संघ से प्राप्त किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थों की राशि नवीन नीति अनुसार R.T.G.S./N.E.F.T. के द्वारा संघ खाते में जमा करेगा, एवं किन्हीं विषम परिस्थिति में संघ द्वारा राशि वसूल की जा सके इस हेतु रेखांकित चैक (दुग्ध संघ के हित में) देगा। वितरक द्वारा रखी जमानत राशि/बैंक गारंटी/संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
- 9- यह कि वितरक द्वारा दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन आदि का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक से क्रेटस/केन्स आदि की राशि वर्तमान क्रय दर पर वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 10- यह कि वितरक, शासन के समस्त निर्धारित करो आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार व्यक्तिगत या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ हेतु पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।
- 11- यह कि वितरक दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करायेगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जावेगी।
- 12- यह कि वितरक के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनको विपणित की गई दूध/दुग्ध पदार्थ की राशि का भुगतान वितरक को न किये जाने की स्थिति में वितरक दुग्ध संघ की सहमति से उस विक्रय केन्द्र प्रभारियों की जमानत राशि से दुग्ध संघ के लेखा का समाधान पश्चात बची राशि में से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इसके पूर्व वितरक द्वारा परिवहनकर्ता को संबंधित केन्द्र एजेंट से हिसाब सत्यापन सम्बन्धी टीप प्रस्तुत की जाना होगी। साथ ही संघ द्वारा समय समय पर घोषित विक्रेता मार्जिन पूर्णतः विक्रेताओं को भुगतान करना होगा, इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने एवं सत्यापित होने पर वितरक की एजेन्सी निरस्त कर प्रतिभूति राजसात की जा सकेगी।

- 13- यह कि समय-समय पर दुग्ध संघ, द्वारा वितरक को आबंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यो की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयो का पालन हेतु वितरक बाध्य होगा।
- 14- यह कि वितरक के कार्यरत कर्मचारी एवं एंजेटो के बीच उठे विवादो को वितरक अपने उपस्थिति मे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य मे किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
- 15- यह संघ द्वारा बनाये गये नियमों के अतिरिक्त यदि किन्ही आवश्यकता वश कोई नवीन नियम बनाया जाता है, अथवा किन्ही प्रचलित नियम मे संशोधन किया जाता है तो वितरक द्वारा उसे मान्य करना आवश्यक होगा।
- 16- यह कि वितरक से जो भी अर्थ दंड की राशि वसूली किये जाना हेतु अनुबंध की शर्तो मे प्रस्तावित है कि वसूली वितरक से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी गई जमानत राशि से की जावेगी।
- 17- यह कि वितरक को आबंटित कार्य किसी अन्य वितरक को किसी भी रूप मे हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना नोटिस दिये, आबंटित वितरक एजेन्सी निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसत कर सकेगा।
- 18- यह कि वितरक प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगा।
- 19- यह कि समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशो का पालन करने हेतु वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशो का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति मे दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितो को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबंध की कंडिका क्रमांक 14 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
- 20- यह कि वितरक द्वारा वितरण कार्य मे लगने वाले आवश्यक संसाधन, स्टेशनरी स्वयं के नाम एवं व्यय पर तैयार करवायेगा। संघ द्वारा केवल समय समय पर प्रचार सामग्री दी जा सकेगी।
- 21- यह कि संघ द्वारा वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर वितरक द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित मे संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के

सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय सम्बंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रु. 200/- प्रतिदिन प्रति विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक को दंड स्वरूप राशि संघ में जमा करनी होगी।

- 22- यह कि अनुबंधित अवधि में वर्तमान मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 23- यह कि संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेंगे।
- 24- यह कि ——— वितरक को कार्य आदेश में भुगतान किये जाने वाले मार्जिन का उल्लेख है जिसमें संघ समय-समय पर वृद्धि अथवा कमी (कमी करने की स्थिति में मय कारण सहित अवगत कराते हुए) कर सकेगा।
- 25- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा ———शहर में दुग्ध-दुग्ध पदार्थों के वितरण का कार्य विपणन मार्ग पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किया जावेगा, किन्हीं भी तात्कालिक विषय/परिस्थिति जैसे उपलब्धता अनुसार दूध एवं दुग्ध पदार्थों की प्रदायगी, स्थानीय शिकायत, आकस्मिक मांग पूर्ति, प्रशासनीय गतिविधि इत्यादि के सम्बन्ध में पर्यवेक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर किसी भी हानि की पूर्ति वितरक एजेंट से वसूल की जावेगी। किन्तु पश्चात विवाद मय कारण एवं तथ्यों सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ध्यान में लाना अनिवार्य होगा।
- 26- यह कि इस अनुबंध का न्यायीय कार्यक्षेत्र इन्दौर न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक की आपसी रज़ामंदी के तहत दिनांक को निष्पादित किया गया है।
- 27- यह कि अनुबंध वर्ष लक्ष्यपूर्ति संघ के साथ भुगतान नियमितता होने के लिए प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ के द्वारा वितरक का कार्य प्रथम वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
- 28- यह कि अनुबंध दौनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से बंधनकारी रहेगा जो दौनों पक्षों को मान्य है।

...../11/.....

29- यह कि किसी भी प्रकार के विवाद कि स्थिति मे अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षो पर बन्धनकारी होगा ।

इस अनुबंध पत्र की सभी शर्तो को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ एवं समझकर आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय मे हस्ताक्षर किये है, अनुबंध लेख दिनांक ----- से दो वर्षो अथवा (किन्ही भी कारणवश अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नही होने के दशा मे) जब तक बढ़ायी गई कार्य अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा । इति ।

(-----)

वितरक दूध-दुग्ध पदार्थ

मुख्यकार्यपालन अधिकारी

इंदौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इंदौर

➤ गवाह ◀

1- हस्ताक्षर

नाम -----
पिता -----
पता -----


2- हस्ताक्षर

नाम -----
पिता -----
पता -----

-X-


इन्दौर शहर मे साँची दुग्ध वितरण व्यवस्था

वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु
ॐ आवेदन पत्र ॐ



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535 FAX 2802559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर



साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :-

— समाचार पत्र विज्ञापन (छायाप्रति)	01 पेंज
— आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण —	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 01 से 02)
— तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 01)	02 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 03 से 04)
— नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 02)	04 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 05 से 08)
— अनुबंध प्रारूप (प्रपत्र 03)	05 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 09 से 13)
— वितरक झोन सूचीं	28 पेंज (पृष्ठ क्रमांक 14 से 40)
— आवेदन पत्र (दर प्रस्तुत आनें लाईन हेतु)	01 पेंज

- X -

मोनो

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
दूरभाष - 0731-2802535 FAX - 2811559

घी/दूध सुपर स्टाकिस्ट, दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता एवं अपकन्ट्री क्षेत्र में वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

- (1) घी सुपर स्टाकिस्ट आवेदन :- इन्दौर शहर में साँची घी के वितरण कार्य हेतु सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के लिये पार्टी अपने आवेदन दिनांक 14/02/17 दोप. 1.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (2) दूध-दुग्ध पदार्थ वितरक हेतु आवेदन :- दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र यथा - मून्दी (खंडवा), ओंकारेश्वर, बडवाह, सनावद, मनावर, राजगढ (धर) खंडवा अतिरिक्त, राऊ-महू, पीथमपुर, हाटपिपलिया,(देवास) धूलकोट (खरगौन) शहरों में दूध एवं दुग्ध पदार्थ के लिये अतिरिक्त वितरक नियुक्त किया जाना है। जिसके लिये आवेदन फार्म दिनांक 13/02/17 दोप. 1.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।
- (3) दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता ई-निविदा (तृतीय निविदा) :- इन्दौर शहर में साँची दूध के लिये वितरण व्यवस्था हेतु 27 ज़ोन में दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति ई-निविदा के माध्यम से दिनांक 14/02/2017 दोपहर 1.30 बजे तक ऑन लाईन भरे जा सकेंगे।

निविदा सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब साईड साईड <http://WWW.mpeproc.gov.in> से डाउन लोड कर देखा जा सकता है, साथ ही वेब साईट www.mpcdf.nic.in पर भी निविदा विवरण देखा जा सकता है। किसी भी भाव आफ़र/निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ॐ साँची दूध वितरण सह-परिवहनकर्ता हेतु आवेदन प्रस्तुती विवरण १०



- | | | |
|--|---|--|
| (1) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। | ■ | 14/02/2017 दोप.1.00 बजे तक। |
| (2) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय। | ■ | 14/02/2017दोप.1.30 बजे तक। |
| (3) निविदा खोलने की तिथि एवं समय। | ■ | 15/02/2017, दोप. 2.00 बजे। |
| (4) निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। | ■ | रु. 25,000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) |
| (5) निविदा खोलने का स्थान | ■ | इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर |
| (6) टेका हेतु तकनीकी अर्हताये का प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 01 |
| (7) टेके की सामान्य शर्ते | ■ | प्रपत्र 02 |
| (8) "भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 03 |
| (9) अनुबंध प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 04 |

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 मे "तकनीकी अर्हताये" भरकर एवं प्रपत्र क्रमांक 02 "निविदा की शर्तो मे हस्ताक्षर कर बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर "तकनीकी अर्हताये" लिखा जावे।

/2/

- उक्त बन्द लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे मे बन्द कर प्रस्तुत किये जावे एवं इस लिफाफे मे “झोन क्रमांक ————— के लिये निविदा आफर” अंकित कर नीचे निविदाकर्ता का नाम एवं पता अंकित किया जावे। पहले “तकनीकी अर्हताये” का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताये मे सफल निविदाकर्ताओं के ही “भाव पत्र खोले जावेगे।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी।

-X-

..../3/....

प्रति,

प्रपत्र -01

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

पास पोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करें।

विषय :- झोन क्रमांक के लिये तकनीकी जानकारी बाबद।
महोदय,

दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक 04/02/17 को दैनिक भास्कर, समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 25,000/- (अक्षरी रु पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक /02/2017 जो कि बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	टीन नम्बर/सर्विस टेक्स नम्बर।		टीन नम्बर/सर्विस टेक्स नम्बर की छायाप्रति संलग्न करे।
6.	उपलब्ध वाहन का प्रकार		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे। नया वाहन क्रय करने की स्थिति में विवरण दें। अन्यथा शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

7.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
8.	वित्तीय वर्ष 2013 – 14, 14-15 & 15 – 16 (कर निर्धारण वर्ष 2015-16) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी।

नोट :-

- 1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा खोले जौन के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- 2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें प्रपत्र क्रमांक 02 एवं अनुबंध प्रारूप प्रपत्र 04 साथ एक पृथक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों का ही निविदा दर सम्बन्धी लिफाफा खोला जावेगा।
- 3- उपरोक्त जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

- - - - -

दूरभा I नम्बर

Mob No.

...../5/.....

ॐ साँची दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु ॐ निविदा प्रस्तुत करने की आवश्यक शर्तें

- (1) निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकार/आवेदक एक निविदा प्रपत्र में एक ही मार्ग हेतु दरे प्रस्तुत कर सकेगा। पृथक—पृथक मार्ग हेतु पृथक पृथक निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, साथ ही प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक—पृथक अर्नेस्टमनी जमा करना भी अनिवार्य है। एक आवेदक द्वारा दो झोन से अधिक पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- (3) आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थों के वितरण/परिवहनकर्ता का अनुभव होना चाहिये, तथा वितरक सह—परिवहनकर्ता का अनुभव रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (4) ऐसे आवेदक जो वर्तमान में इन्दौर दुग्ध संघ के दूध वितरक सह—परिवहनकर्ता हैं, उन्हें इस ई—निविदा में सम्मिलित होने के पूर्व संघ के अधिकृत सुपर स्टाकिस्ट (दूध) से वित्तीय एवं क्रेट आदि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा उनके आवेदन पर किसी भी तरह से विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- (5) संघ द्वारा सुपर स्टाकिस्ट नियुक्ति के पूर्व जो वितरक सह—परिवहनकर्ता सीधे संघ से जुड़े होकर झोन में व्यवसाय कर रहे थे, उस अवधि का भी लेखा मिलान करते हुए वित्त एवं विपणन शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में उनके द्वारा निविदा अर्हतायें पूर्ण न करने की श्रेणी में रखा जावेगा।
- (6) निविदाकार के पास स्वयं का इंश्युलेटेड वाहन होना आवश्यक है। यदि स्वयं के वाहन में इंश्युलेटेड बॉडी नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 30 दिन में इंश्युलेटेड वाहन बॉडी बनवाकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रबंध पक्ष का निर्णय अंतिम होगा। दुग्ध परिवहन हेतु इंश्युलेटेड वाहन वर्ष 2015 या बाद का पंजीकृत होना अनिवार्य है, परन्तु वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
- (7) निविदाकार आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
- (8) निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदाकार को शीतलीकरण सहित दूध के भंडारण की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- (9) निविदाकार के पास आयकर पान नम्बर एवं सर्विस टैक्स नम्बर होना अनिवार्य है।

- (10) निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रू. 25,000/- (अक्षरी रू पच्चीस हजार मात्र) डी.डी./नगद अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पूर्व में संघ में अन्य मद में जमा EMD/प्रतिभूति मान्य नहीं की जावेगी।
- (11) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- (12) संघ द्वारा अपने व्यवसाय के सुचारू संचालन हेतु सुपर स्टाकिस्ट (दूध) के माध्यम सम्पूर्ण इन्दौर शहर का दूध वितरण व्यवस्था कार्य (प्रत्येक झोन से मांग एकत्रित करना, एकत्रित मांग की गणना कर दूध श्रेणी वार एकल मांग संघ के उत्पादन शाखा को देना, मांग अनुसार वितरण डाक से वाहन लोडिंग करवाना, नियत समय में वितरण कार्य सम्पन्न करवाना, वितरीत दूध की राशि झोन अनुसार वसूली करना, क्रेट प्रदाय एवं वापसी लेखा नियंत्रित करना इत्यादि कार्य) करवाये जा रहे हैं, अतः सुपर स्टाकिस्ट (दूध) को दैनिक प्राप्त राशि का 100% भुगतान करना एवं वापसी क्रेटें जमा करना होगा।
- (13) सुपर स्टाकिस्ट (दूध) को नियमित राशि का भुगतान नहीं करने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता की एजेन्सी बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह-दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है। इसे वित्तीय अनियमितता मानी जावेगी।
- (14) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि रू. 1.00 लाख एवं आवंटित झोन वितरण मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा की 05 दिवस की राशि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रतिवर्ष समीक्षा की जावेगी, तथा वृद्धि होने पर उतनी अन्तर की राशि पुनः पृथक से जमा करना होगा। संघ में जमा किसी भी प्रकार की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (15) संघ के वित्तीय व्यवहार के लिये वितरक को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अथवा एक्सीस बैंक की स्थानीय शाखा में खाता खोलना अनिवार्य होगा, कुल दूध की मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अधिकृत सुपर स्टाकिस्ट (दूध) के खाते में नियमित रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा।
- (16) ऐसे ई-निविदाकार जो पूर्व में संघ के व्यवसाय से जुड़े हो, तथा संघ द्वारा उन्हें किसी भी कारण से कार्य के अयोग्य माना जाकर ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उन्हें ई-निविदा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- (17) दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता का व्यवसायीक वार्षिक टर्न ओव्हर न्यूनतम रू. 3.00 करोड़ (अक्षरी रू. तीन करोड़) का होना अनिवार्य है। जिसके प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की प्रति एवं अंकेक्षित बेलेंसशीट संलग्न की जावे।

- (18) दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा जिस नाम अथवा फर्म के नाम से ई-निविदा प्रस्तुत की जावेगी, यदि उनकी निविदा संघ द्वारा स्वीकृत की जाती है तो पूर्ण कार्य अवधि में उसी नाम से वित्तीय खातों का संधारण/पत्राचार करना आवश्यक होगा। कार्य आदेश प्राप्त अथवा कार्य अवधि के बीच नाम/फर्म का नाम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। अतः ई-निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सुनिश्चित कर लें।
- (19) निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
- (20) आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सफल निविदाकार से नेगोशियेशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
- (21) निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध नामें ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा।
- (22) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें स्पष्ट वर्णित करना होगी। अतः दरों में किसी प्रकार की ओव्हर राईटिंग/काट-पीट न करे।
- (23) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- (24) निविदाकार/आवेदक दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव वितरक सह-परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर में भी दिया जावेगा। जिसकी गणना संघ द्वारा गठित समिति द्वारा की जावेगी।
- (25) निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है, जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़कर समझ ले।
- (26) निविदाकार द्वारा प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
- (27) निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह-परिवहनकर्ता को कार्य अवधि दो वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक एक करते हुए तीन वर्ष तक कार्य समीक्षा उपरांत आपसी सहमती से बढ़ायी जा सकती है।
- (28) कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताये निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंध द्वारा निर्णय लेने पर अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरकशिप की निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तों पढ व समझ ली है तथा मै/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। निविदा मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा मे प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 28 तक वर्णित शर्तों का पालन नही करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक

—हस्ताक्षर—

(आवेदक का नाम एवं पता)

...../9/.....

यह अनुबंध आज दिनांक _____ को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री----- S/o -----, (फर्म ----- पता ----- इन्दौर द्वारा बतौर दूध के वितरक सह-परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा झोन क्रमांक 00 के लिए दिनांक 00/00/2017 से 00/00/2019 (दो वर्ष) तक अवधि के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया जा रहा है। जिसे आगे इस अनुबंध में वितरक, सह.परिवहनकर्ता के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

- 1- यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है, तथा इसके तहत वितरक सह-परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह कि न्यायलीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। अथवा वितरक सह-परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
- 2- वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवांटीत झोन 00 के लिये दुग्ध संघ के पास राशि रु. 00 (अक्षरी रूपये -----मात्र) नगद तथा राशि रु ----- मात्र की बैंक गारंटी या इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर के संयुक्त नाम की F.D.R. बतौर प्रतिभूति राशि जमा करावेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 3- वितरक सह-परिवहनकर्ता, दुग्ध संघ द्वारा झोन क्रमांक 00 पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर साँची दूध, दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 4- सुपर स्टाकिस्ट (दूध) को नियमित राशि का भुगतान नहीं करने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता की एजेन्सी बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ, इन्दौर के पास सुरक्षित है। इसे वित्तीय अनियमितता मानी जावेगी।
- 5- वितरक सह-परिवहनकर्ता को आवांटीत झोन में विक्रीत होने वाली दैनिक दूध मात्रा में लगने वाली मिल्क क्रेटें क्रय कर संघ में जमा करवाना होगी अथवा उत्तनी क्रेटें मात्रा के बराबर राशि प्रचलित मूल्य अनुसार क्रय मूल्य की राशि संघ में प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। जिसमें दूध विक्रय मात्रा वृद्धि होने पर क्रेटें/राशि में वृद्धि करना होगा।

- 6- वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध एफ.ओ.आर. डेयरी डाक पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरीयल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धी ,हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाने आदि के भुगतान को न दिये जाने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व कानूनी प्रक्रियाओं से परे होगा।
- 7- वितरक सह-परिवहनकर्ता डेयरी डाक से प्राप्त किये गये सॉची दूध का विपणन कार्य सिर्फ इन्श्यूलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही करना वितरक के लिए अनिवार्य होगा।
- 8- वितरक सह-परिवहनकर्ता एजेन्टों की दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगे। एजेंटों की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी किसी भी स्थिति में अपने मर्जी से घटायेंगे/बढ़ायेंगे नहीं।
- 9- वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
- 10- वितरक सह-परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता मय फोटो के संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं सत्यापित दस्तावेज एवं दो- दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटों भी जमा करना होगा।
- 11- वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ को माल उठाते समय माल की राशि रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश के बाउंस होने पर दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के विरुद्ध बैंक खर्च/पेनाल्टी के रूप में रु. 1000/- व बाउंस चैक राशि पर ब्याज आदि की वसूली कर पुनः उसी धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा या उसके द्वारा रखी जमानत राशि/बैंक गारंटी/संयुक्त नाम की फिक्स डिपॉजिट से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
- 12- वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह-परिवहनकर्ता से क्रेटस/केन्स आदि की राशि वर्तमान क्रय दर पर वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 13- वितरक सह-परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार व्यक्तिगत या कानूनी रूप से होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ हेतु पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से दुग्ध संघ पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।

- 14- वितरक सह-परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करायेगा। विक्रय केन्द्र आंक्टन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जावेगी।
- 15- वितरक सह-परिवहनकर्ता के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों द्वारा उनको विपणित की गई दूध की राशि का भुगतान वितरक को न किये जाने की स्थिति में वितरक दुग्ध संघ की सहमति से उस विक्रय केन्द्र प्रभारियों की जमानत राशि से दुग्ध संघ के लेखा का समाधान पश्चात बची राशि में से उसकी लेखा राशि प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इसके पूर्व वितरक द्वारा परिवहनकर्ता को संबंधित केन्द्र एजेन्ट से हिसाब सत्यापन सम्बन्धी टीप प्रस्तुत की जाना होगी। साथ ही संघ द्वारा समय समय पर घोषित विक्रेता मार्जिन पूर्णतः विक्रेताओं को भुगतान करना होगा, इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने एवं सत्यापित होने पर वितरक की एजेन्सी निरस्त कर प्रतिभूति राजसात की जा सकेगी।
- 16- समय-समय पर दुग्ध संघ, द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता को आक्टित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
- 17- वितरक के वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एंजेटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह-परिवहनकर्ता अपने उपस्थिति में शांतिपूर्वक हल करेगे। ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
- 18- संघ द्वारा किसी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर कोई भी अन्य वितरक सह-परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूल किया जायेगा एवं इसके बाद भी इस शर्त का दुबारा उल्लंघन करते पाये जाने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता की वितरक सह-परिवहनकर्ता एजेन्सी बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
- 19- वितरक सह-परिवहनकर्ता से जो भी अर्थ दंड की राशि वसूली किये जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है कि वसूली वितरक सह-परिवहनकर्ता से धनावेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी गई जमानत राशि से की जावेगी।
- 20- वितरक सह-परिवहनकर्ता को आक्टित कार्य किसी अन्य को वितरक सह-परिवहनकर्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना नोटिस दिये, दी गई आक्टित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसत कर सकेगा।

- 21- वितरक सह-परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपी दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगा।
- 22- समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशो का पालन करने हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता बाध्य होवेगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशो का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितो को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबंध की कंडिका क्रमांक 14 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
- 23- वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता का इंश्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 24- वितरक सह-परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारीयो को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजो की एक छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 25- वितरक सह-परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजो में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है, या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह-परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
- 26- संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह-परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय सम्बंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रु. 200/- प्रतिदिन प्रति विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक को दंड स्वरूप राशि संघ में जमा करनी होगी।
- 27- यह कि वितरक सह-परिवहनकर्ता को अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जायेंगे जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो प्रकरण की जांच कर अतिरिक्त मात्रा के लिये उसे 10 से 100 गुणा राशि तक अर्थदंड किया जा सकेगा। जिसे भुगतान करने के लिये वह बंधनकारी होगा।

- 28- अनुबंधित अवधि में वर्तमान मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 29- संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेंगे। अर्थात् कार्य अवधि में दिये गये निर्देश/आदेशों अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा।
- 30- यह कि ज्ञान मार्ग क्रमांक 00 (-----) पर श्री -----पति ----- इन्दौर(फर्म -----) वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में पैसे 0 + = प्रति लीटर (परिवहन + ज्ञान वितरक मार्जिन) पर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त विक्रेता मार्जिन वर्तमान प्रचलित दर अनुसार रु. 1.90 प्रतिलीटर अतिरिक्त देय रहेगा, का भुगतान विक्रेताओं को करना होगा। (विक्रेता मार्जिन आवश्यकता अनुसार कम/ज्यादा किया जा सकता है)
- 31- यह कि अनुबंधित अवधि में डीज़ल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह-परिवहनकर्ता की दरों में जो वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी को निविदा वर्णित है, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतम 10 किलो मीटर, टाटा 608/709/आयशर औसतम 06 किलो मीटर के आधार पर की जावेगी।
- 32- इस अनुबंध का न्यायीक कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर का न्यायालय में रहेगा।
- 33- यह अनुबंध दो वर्ष हेतु लक्ष्य पूर्ति, संघ के साथ भुगतान नियमितता, अच्छी व्यवसायीक साख आदि होने की स्थिति में ही प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ के द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
- 34- यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।
यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता की आपसी रज़ामंदी के तहत बिना किसी दबाव के दिनांक को निष्पादित किया गया है।

(श्री-----S/O -----)

वास्ते-----

वितरक सह-परिवहनकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सह-दुग्ध संघ मर्या.

इन्दौर

➤ गवाह ◀

1- हस्ताक्षर

नाम -----

पिता -----

पता -----

2- हस्ताक्षर

नाम -----

पिता -----

पता -----

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 01

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	रविदास नगर		76
2-	गुरुद्वारा (देवास नाका)		1538
3-	भार्गव किराना		76
4-	राजपाल टोयटा, निरजंनपुर		23
5-	माँ गायत्री साँची पाइंट		173
6-	लसुडिया थाना		198
7-	औमेक्स सिटी		84
8-	राजू सूर्यवंशी		41
9-	मुकेश चौकसे		72
10-	निर्मल श्री रेस्टोरेन्ट	सजनप्रभा गार्डन के पास	42
11-	प्रियांशु ट्रेडर्स	तपेश्वरी बाग मालवीय पेट्रोल पम्प के पीछे	452
12-	श्रीसंत जैन किराना	मंगलसिटी के पीछे	41
13-	श्याम सुन्दर	स्कीम नं 78	85
14-	मालवीय नगर	लोट्स के सामने	287
15-	परफेक्ट एव्हर फ्रेश	M R 09 सब्जी मंडी	201
16	सार्थक मिल्क पार्लर	रसोमा चौराह	300
		कुल विक्रय मात्रा	3689

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (3689 X 37 = 1,36,493 X 5 = 6,82,465)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 02

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	21 सेंचुरी	स्कीम नं 114 A.B. रोड	96
2-	आदर्श वस्तु भंडार पार्लर	स्कीम नं 78 रायल बंगले के सामने	1650
3-	अमरसिंह चौधरी	स्कीम नं. 78 विजय नगर	12
4-	श्री दुबे जी पार्लर ISDS	रेडीशन चौराह	2134
5-	गौतम मिल्क एजेन्सी	स्कीम नं 54 प्रस्टीज के पीछे	395
		कुल विक्रय मात्रा	4,287

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4287 X 37 = 1,58,619 X 5 = 7,93,095)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 03

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	जय माँ वेष्णोदेवी	शीतल नगर पेट्रोल पम्प के पास	54
2-	कृष्णा साँची पाइंट	रेडीशन होटल के पीछे	41
3-	माँ दुर्गा एजेन्सी	स्कीम नं 78 LC हास्पी. के पास	25
4-	मनोज शर्मा	स्कीम नं. 54 नर्मदा आफिस के सामने	590
5-	प्रीतम एजेन्सी	स्कीम नं 78 जैन मंदिर पास	471
6-	संदीप किराना	स्कीम 114 रायल बंगला के अन्दर	18
7-	विजय STD	निरंजनपुर चौराह के पास	490
8-	वर्धमान पुल	स्कीम नं 54	60
9-	गणेश नगर	संत गाडगे बाबा चौराह	600
10-	गणेश नगर "बी"	संत गाडगे बाबा चौराह	75
11-	रामकृष्ण बाग "ए"	वेलोसिटी टाकीज के पास	996
12-	सत्यसाँई डिपो	सत्यसाँई चौराह	795
		कुल विक्रय मात्रा	4214

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4214 X 37 = 1,55,918 X 5 = 7,79,590)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 04

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	बाबा इन्टरप्राइजेस		177
2-	आदित्य डेली नीड्स		376
3-	कैलाश एजेन्सी		113
4-	मिक्की किराना		267
5-	मंयक प्रोव्हीजन		84
6-	आदिती एजेन्सी		174
7-	सेठी नगर डिपो		266
8-	सपना आइस्क्रीम		230
9-	श्रीसिद्धी विनायक ट्रेडर्स		92
10-	बाबाश्री टेस्टी डिपो		1031
11-	बापट चौराह पार्लर		96
12-	श्रीराम साँची पाइंट		141
13-	आदिनाथ डेयरी एण्ड		126
14-	विजय नगर डिपो		611
15-	जोशी साँची पाइंट		38
16-	पाण्डे कम्युनिकेशन		22
17-	बाबुलाल नाथ		125
18-	तृप्ती एव्हरफ्रेश		21
		कुल	3990

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (3990 X 37 = 1,47,630 X 5 = 7,38,150)

/18/
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 05

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर / प्रतिदिन)
1-	आदित्य बिडला	C-21 मॉल ए.बी.रोड इन्दौर	280
2-	अग्रवाल किराना स्टोर्स	महालक्ष्मी नगर इन्दौर	64
3-	अमृत स्टोर्स	निपानिया रोड	60
4-	अनिल नगर डिपो	बर्फानीधाम मंदिर के सामने	2375
5-	आर्शिवाद डिपार्टमेन्टल स्टोर्स	परफेक्ट सुपर मार्केट निपानिया रोड	177
6-	छोटी खजरानी	बर्फानी धाम मंदिर के सामने	240
7-	चित्राजी पाण्डे	ओशन पार्क, निपानिया	57
8-	DPS स्कूल	निपानिया रोड	330
9-	जितेन्द्र पाल	निपानिया रोड	150
10-	कान्हा साँची पाइंट	बाम्बे हास्पी. HDFC हाउस पास	152
11-			
12-	रोहित जी	निपानिया चौराह	206
		कुल विक्रय मात्रा	4091

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4091 X 37 = 1,51,367 X 5 = 7,56,835)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 06

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	छप्पन दुकान एजेन्सी	छप्पन दुकान	330
2-	चौधरी मिल्क एजेन्सी	मालवीय नगर मेनरोड	379
3-	क्योरवेल पार्लर	जंजीर वाला चौराह के पास	379
4-	डाल्फीन हास्पिटल	छप्पन दुकान के पास	19
5-	गुरुकृपा डेरी	शालीमार टाउनशिप	255
6-	ईशिता पार्लर	वेलोसिटी टाकीज के पीछे	66
7-	लिविड कैफे	विजय नगर चौराह	16
8-	महालक्ष्मी नगर	महालक्ष्मी नगर	448
9-	रामकृष्ण बाग "बी"	रामकृष्ण बाग कालोनी रिंगरोड	367
10-	श्रीराधा कृष्ण	रेडीशन चौराह पम्प के पास	144
11-	तुषार साँची पाइंट	वेलोसिटी के पीछे	156
12-	संजय पवार	धीरज नगर, अग्रवाल शो रूम के सामने।	1932
		कुल विक्रय मात्रा	4461

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4461 X 37 = 1,65,057 X 5 = 8,25,285)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 07

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	स्कीम 78 "सी"	स्कीम नं 78	290
2-	पवार हाउस पार्लर	स्कीम नं 74	300
3-	सहयोग प्रोव्हीजन	बीणा नगर	1101
4-	प्रगति प्रोव्हीजन	सुखलिया	849
5-	नन्दानगर "डी"	चर्च के पास	1150
6-	सोनम चौकसे	सुखलिया	210
7-	मेधदूध नगर "बी"	बजरंग (मजदूर चौक)	220
8-	महावीर किराना	बजरंग नगर (मजदूर चौक)	135
9-	बजरंग नगर "बी"	बजरंग नगर (मजदूर चौक)	240
		कुल विक्रय मात्रा	4495

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4495 X 37 = 1,66,315 X 5 = 8,31,575)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 08

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	विनायक साँची पाइंट		24
2-	पिंक सिटी		66
3-	निरजनपुर पाइंट		709
4-	पाँवर हाउस न्यू		266
5-	मधुर एव्हरफ्रेश		51
6-	ईशा इन्टरप्राइजेस		738
7-	सुनीता भदौरिया		76
8-	जायसवाल ट्रेडर्स		283
9-	श्रीहरि एव्हरफ्रेश		178
10-	तिरूपति किराना स्टोर्स		1354
11-	श्रीमिल्क सेन्टर		37
12-	गौरी नगर डिपो		517
13-	खातीपुरा कालोनी		207
14-	पवन किराना		191
15-	राजेन्द्र मुंशी		286
16-	ब्रिलीयन्ट होटल		163
		कुल विक्रय मात्रा	5146

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (5146 X 37 = 1,90,402 X 5 = 9,52,010)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक -09

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	सुभाष नगर पार्लर		62
2-	गुरुकृपा डेरी		31
3-	लेन्टर्न पार्लर		640
4-	रेखा मिमरोट		519
5-	अयोध्या नगरी		536
6-	टापूनगर डिपो		71
7-	माँ पपलाज स्टोर्स		189
8-	साहू किराना भागीरथपुरा		447
9-	जीतू मिल्क एजेन्सी		51
10-	पुरुषोत्तम प्रजापत		441
11-	रामलखन साँची पाइंट		32
12-	नया मोहल्ला -B डिपो		355
13-	नया मोहल्ला - A डिपो		486
14-	चौकसे मिल्क एजेन्सी		467
15-	परदेशीपुरा डिपो -A		75
16-	सुभाषनगर डिपो		23
17-	IT I पार्लर		451
18-	मधु एव्हर फ्रेश		123
19-	बंटी ओर बबली		80
20-	कोमल बेटरी		18
		कुल	5097

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (5097 X 37 = 1,88,589 X 5 = 9,42,945)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 10

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	हीरानगर पार्लर		100
2-	नन्दानगर A		440
3-	बजरंग नगर A		182
4-	नन्दानगर -E		48
5-	जगजीवनराम नगर		218
6-	घीसालाल शेखावत		37
7-	हाउसिंग बोर्ड कालोनी		12
8-	मोना एजेन्सी		168
9-	रेखा एजेन्सी		519
10-	नेहरू नगर -B		488
11-	नेहरू नगर -A		24
12-	एजांय पाइंट		24
13-	H I G डिपो		584
14-	अनिल किराना न्यू		128
15-	योगेश मिल्क पार्लर		186
16-	क्लिश्चन एनीमेंट पार्लर		176
17-	H.I.G. पार्लर		113
18-	चिन्तामन किराना		117
19-	आशीष ट्रेडर्स		133
20-	गायत्री ट्रेडर्स		301
21-	L I G चौराह पार्लर		115
22-	संजय गाँधी नगर		96
23-	नाश्ता पाइंट		39
		कुल	4248

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4248 X 37 = 1,57,176 X 5 = 7,85,880)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 11

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	आनन्द नगर पार्लर (संघ पार्लर)	आनन्द बाजार	342
2-	बाबा किराना	अनूप नगर	90
3-	मेसर्स MVGS	सेन्टपॉल रोड	37
4-	कुशल इन्टरप्राईजेस	बडी ग्वाल टोली	36
5-	ममता जैन	बख्तावर राम नगर	188
6-	मनोज श्रीवास	वन्दना नगर	130
7-	नवनीत पार्लर टॉवर (संघ पार्लर)	बडवानी प्लाजा	222
8-	अमित किराना	ग्वाल टोली	377
9-	सकलेचा ट्रेडर्स	तिलक नगर	24
10-	भगवान जोशी	टेलीफोन नगर	100
11-	अनूप नगर (संघ पार्लर)	अनूप नगर	228
12-	वैकुण्ठ धाम पार्लर (संघ पार्लर)	वैकुण्ठ नगर	160
13-	श्रीहरि डेरी	आनन्द नगर	57
14-	श्रीराम	वैकुण्ठ नगर	58
15-	खजराना कांकड	अनूप नगर	229
16-	वन्दना नगर	वन्दना नगर	349
17-	नवीन किराना	वन्दना नगर	100
18-	गणेश चौक	गणेश चौक मूसाखेडी	1680
		कुल विक्रय मात्रा	4407

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4407 X 37 = 1,63,059 X 5 = 8,15,295)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 12

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/ प्रतिदिन)
1-	रविन्द्र नगर	रविन्द्र नगर	265
2-	सन्मति डेयरी	तिलक नगर	148
3-	श्रीनगर पार्लर (संघ पार्लर)	श्रीनगर एक्सटेंशन	258
4-	स्वास्तिक किराना	श्रीनगर मेन रोड	56
5-	सुबालिका	श्रीनगर मेन रोड	340
6-	तिलक नगर पार्लर (संघ पार्लर)	तिलक नगर	108
7-	पूजा किराना	कनाडिया रोड	480
8-	मयुर नगर पार्लर	मयुर नगर	1320
9-	PTC (पुलिस प्रशिक्षण- मूसाखेडी)	PTC (पुलिस प्रशिक्षण)	66
10-	संतोष	पालदा रोड	412
11-	गुरुकृपा	पिपलिया हाना	286
12-	युनाईटेड एव्हर फ्रेश	पिपलिया हाना	314
13-	बिजली नगर पार्लर (संघ पार्लर)	बिजली नगर	423
		कुल विक्रय मात्रा	4476

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4476 X 37 = 1,65,612 X 5 = 8,28,060)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 13

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	पाल किराना	बंगाली चौराह	170
2-	सर्वमंगल डेली नीड्स	संचार नगर	43
3-	बृजवासी स्वीट्स	बिजली नगर रोड	12
4-	मॉय होम	कनाडिया रोड	68
5-	गोकुल नमकीन	कनाडिया रोड	57
6-	सिद्ध विनायक	बंगाली चौराह रोड	70
7-	हरिश जोशी	कैलाशपुरी कालोनी	600
8-	शाकिर शेख	रिंग रोड	106
9-	न्यू अन्नपूर्णा	तिलक नगर	610
10-	औम साई राम	तिलक नगर	135
11-	पाटीदार किराना	मानवता नगर	61
12-	रणवीर	खजराना	380
13-	टेलीफोन नगर गुप्ताजी	टेलीफोन नगर	247
14-	तिरुपति किराना	बंगाली चौराह	269
15-	अभिताभ	तिलक नगर	430
16-	अंसार पटेल	खजराना	30
17-	कशिश मिल्क	तिलक नगर	80
18-	महावीर किराना	बिजली नगर	100
19-	मोईन	खजराना रोड	144
20-	विनायक डिपार्टमेन्ट	खजराना गणेश मंदिर	300
21-	फारूख किराना	खजराना	350
22-	हेमलता शाह	तिरुपति नगर	26
23-	किर्ती	रविन्द्र नगर	80
24-	बालाजी	गणेश धाम	90
			4458

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4458 X 37 = 1,64,946 X 5 = 8,24,730)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 14

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	डेली कालेज	डेली कालेज	153
2-	रेसीडेन्सी पार्लर (संघ पार्लर)	रेसीडेन्सी	260
3-	सुयश हास्पीटल	गीता भवन	20
4-	गीता भवन (संघ पार्लर)	गीता भवन	356
5-	R.K. किराना	आजाद नगद	300
6-	अक्षय किराना	पालदा	385
7-	माँ चामुण्डा	संविद नगर	235
8-	राज किराना	मूसाखेडी	280
9-	रेडियो कालोनी (संघ पार्लर)	रेडियो कालोनी	223
10-	पालदा	पालदा	424
11-	राहुल	मूसाखेडी	219
12-	श्रीराम किराना	बडी ग्वाल टोली	32
13-	संगीता किराना	बडी ग्वाल टोली	21
14-	श्री श्याम	रिंग रोड	73
15-	जैन साँची	तिलक नगर	268
16-	साकेत डिपो (संघ डिपो)	साकेत नगर	197
17-	धार कोठी पार्लर (संघ पार्लर)	कृषि कालेज चौराह	23
18-	मेसर्स रॉयल	गीता नगर	328
19	ईश कृपा	वन्दना नगर	270
			4067

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4067 X 37 = 1,50,479 X 5 = 7,52,395)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 15

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	अग्रसेन चौराह	अग्रसेन चौराह	1303
2-	अग्रवाल नगर	अग्रवाल नगर	160
3-	अनमोल किराना	विद्या नगर	17
4-	बल्लू टी स्टॉल	युनिवर्सिटी	71
5-	चौहान एजेन्सी	चितावद	19
6-	दीप किराना	विद्यानगर	49
7-	इन्द्राणी किराना	चितावद	30
8-	जावरा कम्पाउंड पार्लर	जावरा कम्पाउंड	46
9-	जितेन्द्र किराना	चितावद	156
10-	खण्डेलवाल किराना	चितावद	32
11-	नवलखा पार्लर	नवलखा बस स्टेण्ड	76
12-	पारसी मोहल्ला पार्लर	पारसी मोहल्ला	604
13-	प्रकाश नगर पार्लर	प्रकाश नगर	173
14-	श्री राजेन्द्र वर्मा	चितावद	244
15-	राजीव गाँधी होस्टल	युनिवर्सिटी	32
16-	सपना-संगीता पार्लर	सपना-संगीता मेन रोड	460
17-	श्रेयांशी पार्लर	चितावद	626
		कुल विक्रय मात्रा	4098

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4098 X 37 = 1,51,626 X 5 = 7,58,130)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 16

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	अरिहन्त ट्रेडर्स	कंचन बाग	37
2-	क्लासिक कार्नर	न्यू पलासिया	13
3-	D.A.V.V. युनिवर्सिटी	R.N.T. मार्ग	06
4-	श्री पंडित जी	गीता भवन	26
5-	G.S.I.T.S. पार्लर (संघ पार्लर)	धेनु मार्केट	278
6-	गणेश धाम	पंचम की फेल।	49
7-	होरिजन लीसर होटल	साउथ तुकोगंज	140
8-	होटल कंचन	साउथ तुकोगंज	25
9-	होटल मदनी दरबार	सरवटे बस स्टेण्ड	05
10-	IDA पार्लर।	रेसकोर्स रोड	97
11-	जगमग आटा चक्की	सिटी सेन्टर	25
12-	किरन गौतम	न्यू पलासिया	19
13-	कुमावत पान कार्नर	सरवटे छोटी ग्वाल टोली।	48
14-	रानीसती गेट पार्लर।	रानीसती गेट।	130
15-	शानू एव्हरफ़ेश	RNT मार्ग।	18
16-	श्री टेस्टी सेन्टर	पलासिया	56
17-	सिन्धी का चौक	पंचम की फेल।	1391
18-	साकेत पार्लर (संघ पार्लर)	साकेत नगर	1274
19-	मनोरमा गंज (संघ पार्लर)	गीता भवन मंदिर के पास	765
			4375

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4375 X 37 = 1,61,875 X 5 = 8,09,375)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 17

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	अग्रवाल डेरी	छोटी ग्वाल टोली	216
2-	CRP पार्लर। (संघ पार्लर)	CRP लाईन	349
3-	डाक्टर केन्टीन	साउथ तुकोगंज	15
4-	होटल प्रसीडेन्ट	RNT मार्ग।	35
5-	होटल राजशाही पैलेस	साउथ तुकोगंज	14
6-	जयभारत शुक्ला पार्लर (संघ पार्लर)	M.Y. परिसर	17
7-	जैन एव्हरफ़ेश	इन्द्रप्रस्थ चौराह।	48
8-	कैलाश नृसिंग होम।	साउथ तुकोगंज	259
9-	M.Y. पार्लर। (संघ पार्लर)	M. Y.हास्पीटल परिसर	96
10-	मलिक ट्रेडर्स	छावनी	07
11-	मेडीकल साँची पार्लर (संघ पार्लर)	M.G.M कालेज प्रवेश द्वार	36
12-	मिशन हास्पीटल	नसिया रोड	11
13-	नाथ मंदिर डिपो	साउथ तुकोगंज	456
14-	नोबल पार्लर	साउथ तुकोगंज	420
15-	रेल्वे पार्लर	रेल्वे स्टेशन के अन्दर	24
16-	S.S.कैफ़ेटेरिया	साउथ तुकोगंज	234
17-	सचिन जैन	पलासिया	50
18-	सरवटे साँची पार्लर (संघ पार्लर)	सरवटे बस स्टेण्ड	20
19-	शंकर मंदिर	गीता भवन	35
20-	शिवशक्ति किराना	मुराई मोहल्ला	46
21-	उषागंज पार्लर (संघ पार्लर)	उषागंज	73
22-	सनसिटी डिपो	बाम्बे हास्पीटल के सामने	1356
		कुल विक्रय मात्रा	3817

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (3817 X 37 = 1,41,229 X 5 = 7,06,145/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 18

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	अमृतश्री नमकीन	सिरपुर	36
2-	अनन्तश्री भंडार	बडा गणपति।	45
3-	अनुष्का साँची पाइंट	आडा बाजार/राजवाडा	72
4-	एवन कोल्ड ड्रिंक	नूरानी नगर	-
5-	बाबा किराना	हुकुचन्द कालोनी	95
6-	मल्हार पल्टन	मल्हार पल्टन	46
7-	चौरषिया प्रोव्हीजन	खातीपुरा	38
8-	इमली बाजार	इमली बाजार	577
9-	इच्छा साँची	नगीन नगर	156
10-	गिरी स्वीट्स	टोरी कार्नर	15
11-	शाहदिल डिपो	बडवाली चौकी	18
12-	जैन साँची पाइंट	कालानी नगर	86
13-	कालानी नगर पार्लर	कालानी नगर	18
14-	मनपसन्द किराना	एयरपोर्ट रोड	38
15-	नरसिंह बाजार	नरसिंह बाजार	22
16-	न्यू मित्तल एव्हर फ्रेश	सिख मोहल्ला	51
17-	नीलकंठ "ए" (संघ डिपो)	नीलकंठ कालोनी	31
18-	OLD डेरी कालोनी डिपो (संघ डिपो)	जिला चिकि. धार रोड	303
19-	प्रिन्स किराना	लोक नायक नगर	25
20-	राजनगर डिपो	राजनगर	160
21-	राजवाडा	राजवाडा	300
22-	रामबाग	रामबाग	34
23-	सागर ज्यूस	खजूरी बाजार	150
24-	साँई कृपा डेरी	एयरपोर्ट रोड	119
25-	शान्ती नगर डिपो (संघ डिपो)	शान्ती नगर	62
26-	श्रीराम किराना	राजमोहल्ला	138
27-	सूरज आईस्क्रीम	बडा गणपति	27
28-	तिलक पथ	तिलक पथ	30
29-	उमेश साँची पाइंट	इन्द्रा नगर	420
30-	वर्मा STD	बडा गणपति	34
31-	श्वेता किराना	इन्द्रा नगर	122
32-	विशाल गुप्ता	राजमोहल्ला	308
33-	यश किराना	इन्द्रा नगर	88
34-	प्रहलाद पान सदन	गौरा कुन्ड	10
35-	श्रीराम साँची	द्वारकापुरी	200
36-	शिविका साँची पाइंट	25.कए सुदामा नगर	371
			4245

NW MLK RT 16-17

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4245 X 37 = 1,57,065 X 5 = 7,85,325/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 19

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	जीतु हाथीपाला	गाडी अड्डा	394
2-	नन्दलाल पुरा डिपो	गाडी अड्डा	404
3-	पगनीस पागा डिपो	पगनीस पागा	281
4-	मोती तबेला- बी	मोतीतबेला	10
5-	मोती तबेला -ए	मोतीतबेला	229
6-	आडा बाजार	आडा बाजार	48
7-	पलसीकर राजेश	पलसीकर कालोनी	343
8-	रूप राम नगर	रूपराम नगर	512
9-	शिवशक्ति किराना	लालबाग कालोनी	247
10-	बारा भाई	महू नाका	149
11-	बियाबानी	बियाबानी	129
12-	जयरामपुर	जयरामपुर	486
13-	नन्दलालपुरा शॉपी	नन्दलालपुरा	99
14-	जबरन कालोनी	जबरन कालोनी	204
15-	सिन्धी कालोनी	निर्मल लाड्डी सिन्धी का	763
16-	फेन्टा सेन्टर	रूप राम नगर	32
17-	अनिरुद्ध राठौर		31
18-	माँ हरसिद्धी साँची		279
19-	दिलीप खिंची		31
20-	आई प्रेस		12
21-	चन्दसेन	मच्छी बाजार	05
		कुल	4686

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4686 X 37 = 1,73,382 X 5 = 8,66,910/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 20

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1.	अंकुर प्रोव्हीजन	सिलीकॉन सिटी	10
2.	अरिहन्त किराना	राजेन्द्र नगर	72
3.	केट साँची पार्लर	केट केम्पस्	346
4.	दरबार साँची पाइंट	सिलीकॉन सिटी	29
5.	गायत्री किराना	260, सहकार नगर	90
6.	गायत्री नगर पार्लर	26, गायत्री नगर	763
7.	गोकुल साँची पाइंट	पटेल कालोनी, राऊ	90
8.	गोल्ड रस	113-B, राजेन्द्र नगर	14
9.	गौरव साँची पाइंट	5, केशर बाग रोड	273
10.	गोरधन किराना	291, तिवारी नगर	114
11.	हार्डिया डिपार्टमेन्ट	प्रगति नगर	13
12.	होटल क्राउन -B	राऊ रोड	06
13.	कमलाशंकर जोशी	7, कुंजवन कालोनी	23
14.	लक्ष्मी प्रोव्ही.	प्रगति नगर	14
15.	लोकमान्य नगर -A	लोकमान्य नगर रोड	206
16.	लोकमान्य नगर -B	302, लोकमान्य नगर	137
17.	लष्ठी पाइंट	दत्त नगर	58
18.	मंगल श्री	202, नालन्दा परिसर	99
19.	मुकेश कुचेरिया	रेतीमंडी चौराह	35
20.	नखराली ढाणी	राऊ	91
21.	नयन साँची	सुदामा नगर	24
22.	औमप्रकाश राठौर	सिलीकॉन सिटी	33
23.	पटेल डेरी	राऊ	74
24.	प्रगति नगर पार्लर	261, प्रगति नगर	410
25.	राजेन्द्र नगर पार्लर	298 - C, राजेन्द्र नगर	264
26.	राजेश किराना	5, केशर बाग रोड	121
27.	रुचि एव्हर फ्रेश	नालन्दा परिसर	56
28.	शिवांस एव्हरफ्रेश	सिलिकॉन सिटी	12
29.	श्रीगुरुकृपासाँची पाइंट	सिलीकॉन सिटी	505
30.	सिमरन कैफे	12, सहकार नगर	25
		कुल	4007

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4007 X 37 = 1,48,259 X 5 = 7,41,295/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 21

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1.	उषा नगर पार्लर	106, उषा नगर	134
2.	रणजीत हनुमान	257, उषा नगर	159
3.	लक्ष स्कीम 71	780-A, स्कीम नं 71	321
4.	गणेश किराना	261, गुमाश्ता नगर	66
5.	सुदामा नगर - C	स्कीम नं 71	42
6.	द्वारकापुरी पार्लर	गुमाश्ता नगर गेट के पास।	540
7.	यश किराना	3602 सुदामा नगर इ	204
8.	विधान साँची डिपो	200-D, विदुर नगर	811
9.	समाजवाद नगर	193/2, सुदामा नगर	47
10.	MOG लाईन	780-A, स्कीम नं 71	231
11.	व्यकंटेस किराना	262, गुमाश्ता नगर	75
12.	मयुर किराना	समाजवाद नगर	16
13.	रंजना पार्लर	द्वारकापुरी	48
14.	लक्ष्मी स्वीट्स	द्वारकापुरी	43
15.	चन्द्रशेखर भट्ट	191-A विधुर नगर	103
16.	साँईकृपा साठ फीट	डी- सुदामा नगर	369
17.	मिश्रीलाल साँची	फुटीकोठी गेट	57
18.	इन्द्रजी पटवा	सुदामा नगर	189
19.	श्रीकृष्ण मिल्क	सुदामा नगर	349
20.	अजय जमींदार	विधुर नगर	156
21.	भैरवनाथ साँची पाइंट	19-D, सुदामा नगर	126
		कुल	4086

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4086 X 37 = 1,51,182 X 5 = 7,55,910/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 22

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1.	गौरव साँची पाइंट	सूर्यदेव नगर	69
2.	सज्जनसिंह	सुदामा ई	226
3.	अनुकृति साँची	सुदामा -ई	46
4.	अन्नपूर्णा प्रोव्ही.	सुदामा नगर	41
5.	दशहरा मैदान	68, महावर नगर	502
6.	धर्मराज दूध डेरी	गौडबोले कालोनी	87
7.	हर्षिता नमकीन	108 बैंक कालोनी	105
8.	जिया साँची पार्लर	महू नाका	06
9.	कीर्ति जोशी	510, VIP नगर	140
10.	माँ अन्नपूर्णा प्रोव्ही.	सहजीवन नगर	04
11.	मधुकर धामोरे	319, सूर्यदेव नगर	39
12.	मजूमदार अहिल्या पा.	41, नर्मदा नगर चौराह	634
13.	मुस्कान STD	3064, सुदामा नगर ई	33
14.	पार्श्वनाथ मिल्क	गायत्री नगर	267
15.	पटेल किराना	318-C, सूर्यदेव नगर	38
16.	श्रीमती पुष्पा पवार	201-C, सूर्यदेव नगर	02
7.	साँईराम	110-A, सूर्यदेव नगर	239
18.	सत्यदेव नगर	58, सूर्यदेव नगर	282
19.	श्रद्धा स्टेशनरी	सुदामा नगर - ई	14
20.	सुदामा नगर -ई	सुदामा नगर - ई	76
21.	स्वामी किराना	2593, सुदामा नगर ई	13
22.	विनीत मिल्क पार्लर	908, VIP परस्पर	301
23.	नयन साँची	सुदामा नगर	10
24.	विनय प्रोव्हीजन	बृजविहार कालोनी	50
25.	मनीष औमप्रकाश	सुदामा नगर ई-	262
26.	माँ अम्बे साँची पाइंट	3172, सुदामा नगर ई	241
27.	सिद्धीपुरम मिल्क	सिद्धी पुरम कालोनी	141
28.	चेतन्य मिल्क पार्लर	वैशाली नगर	137
29.	श्रीनाथ (अजय)	2461, सुदामा नगर ई	28
30.	मांगीलाल जोशी	2286, सुदामा नगर डी	161
31.	कान्हा मिल्क पार्लर	48, गायत्री नगर	178
32.	आशीष खण्डेलवाल	नर्मदा नगर	31
		कुल	4403

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4403 X 37 = 1,62,911 X 5 = 8,14,555/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 23

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	विष्णुपुरी -बी	विष्णुपुरी	93
2-	साँईबाबा किराना	विष्णुपुरी	35
3-	न्यू अम्बे डेरी	विष्णुपुरी	33
4-	कृष्णा एजेन्सी		381
5-	व्यास एव्हरफ़ेश		54
6-	शुभम एजेन्सी		21
7-	आनन्द शॉपी	भवंर कुआ	256
8-	विष्णुपुरी - A	विष्णुपुरी	206
9-	सावंरिया दूध	विष्णुपुरी	54
10-	माँ नर्मदा साँची पाइंट	इन्द्रपुरी रोड	128
11-	हितेश गुप्ता	मंडी चौराह	164
12-	औमकिराना	खातीवाला टेंक	36
13-	सोढी एव्हरफ़ेश		53
14-	रचना एव्हर फ़ेश		165
15-	घीरज पाल		109
16-	चित्रांश किराना		64
17-	शिमला एव्हर फ़ेश	शिवमपुरी	44
18-	सद्गुरु किराना	शिवमपुरी	24
19-	अशोक यादव	इन्द्रपुरी	12
20-	मोनिका स्वीट्स		324
21-	सुपर एव्हरफ़ेश		148
22-	पिपलिया राव	पिपलिया राव	89
23-	भंवरकुआ पार्लर	भंवरकुआ	52
24-	युनिवर्सिटी गेट पार्लर	भंवरकुआ	14
25-	मैकेनिक नगर	मैकेनिक नगर	207
26-	इन्द्रपुरी - बी	इन्द्रपुरी	190
27-	महांकाल किराना	खातीवाला टेंक	193
28-	खातीवाला टेंक डिपो	खातीवाला टेंक	282
		कुल विक्रय मात्रा	4431

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4431 X 37 = 1,63,937 X 5 = 8,19,735/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 24

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	हेलो पाइंट	इन्द्रपुरी	134
2-	निर्मल किराना	पिपलिया राव	65
3-	मनोज किराना	पिपलिया राव	698
4-	पुरोहित इन्टरप्राइजेस	विष्णुपुरी	49
5-	श्रीराम प्रोव्हीजन	विष्णुपुरी	38
6-	रिचा किरना	विष्णुपुरी	38
7-	राजेश प्रोव्हीजन	विष्णुपुरी	128
8-	प्रतापराय वाधवानी	विष्णुपुरी	80
9-	लक्ष्मी किराना	विष्णुपुरी	73
10-	डेली नीड्स	विष्णुपुरी	55
11-	पीयुष एव्हर फ्रेश	विष्णुपुरी	109
12-	सैफी नगर पार्लर	सैफी नगर	205
13-	बुकब्राण्ड डिपो	सैफी नगर	421
14-	सॉई कृपा	सैफी नगर	194
15-	बद्री जनरल स्टोर्स	दिगम्बर स्कूल के पीछे	130
16-	चोईथराम स्कूल	चोईथराम	99
17-	चोईथराम केन्टीन	चोईथराम	78
18-	चोईथराम स्टुडेण्ड	चोईथराम	25
19-	अमितेश नगर पार्लर	अमितेश नगर	84
20-	अजय सॉची पार्लर	मंडी परिसर	246
21-	वर्मा सॉची पाइंट	मंडी चौराह	245
22-	यादव मिल्क पार्लर	मंडी चौराह	181
23-	आनन्द नगर	299 आनन्द नगर	611
24-	IPC स्कूल	राऊ रोड	164
		कुल	4150

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4150 X 37 = 1,53,550 X 5 = 7,67,750/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 25

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	आदित्य एव्हर फ्रेश	सुभाष मार्ग	11
2-	आम्रकुंज	आम्रकुंज कालोनी	27
3-	बालाजी किराना	व्यकटेश नगर	23
4-	बनवारी लाल	व्यकटेश नगर	135
5-	छत्रपति नगर	छत्रपति नगर	178
6-	द्वारकाधीश डिपो	द्वारकाधीश कालोनी	135
7-	गीताश्री	द्वारकाधीश कालोनी	25
8-	गुप्ता किराना	उमंग पार्क	19
9-	गुरुकृपा एव्हरफ्रेश	साठ फीट रोड	25
10-	मंजुला जी	विद्या पैलेस	26
11-	मनोज ठाकुर	अम्बिकापुरी	16
12-	न्यू एव्हर फ्रेश	नयापुरा	114
13-	न्यू फलोदी	आम्रकुंज कालोनी	40
14-	निर्मल किराना	कान्यकुब्ज नगर	45
15-	पल्हर नगर	पल्हर नगर	222
16-	पंचवटी	पंचवटी नगर	35
17-	राजा ट्रेडींग	कान्यकुब्ज नगर	14
18-	राजू जादौन	अम्बिकापुरी	23
19-	रामकृपा ट्रेडर्स	शिक्षक नगर	40
20-	सद्गुरु नमकीन	शंकरगंज	12
21-	गजानन्द दूध दही भंडार	रुकमणी नगर	42
22-	सुरेश किराना	सौमानी नगर	350
23-	तनिष्का पाइंट	अम्बिकापुरी	26
24-	चिमनबाग	चिकमंलूर चौराह	792
25-	अनिल राठौर	द्वारकापुरी	872
26-	प्रशान्त किराना	1753 द्वारकापुरी	975
		कुल विक्रय मात्रा	4222

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (4222 X 37 = 1,56,214 X 5 = 7,81,070/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 26

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	माँ आदि शक्ति	IT चौराह	31
2-	खंडवा नाका पार्लर	खंडवा रोड	979
3-	छाबडा जी	सन्त नगर	41
4-	सैनी किराना	सन्त नगर	154
5-	आशादीप	खंडवा रोड	22
6-	औम साँची पाइंट	लिम्बोदी चौराह	26
7-	महेश किराना	भावना नगर	91
8-	रामप्रसाद प्रजापत	लिम्बोदी	337
9-	रामआसरे पाल	लिम्बोदी	43
10-	विनोद महादेव	कस्तुरबा ग्राम	21
11-	तेजाजी नगर	तेजाजी नगर	147
12-	सनवर साँची पाइंट	खंडवा रोड	10
13-	वीरेन्द्र शर्मा	खंडवा रोड	38
14-	रामेश्वर देवरा	रालामंडल	24
15-	चमेली देवी कालेज	केशरबाग रोड	24
16-	माँ जगदम्बा किराना	लिम्बोदी	22
17-	मोहन जोशी	खंडवा रोड	38
18-	स्वामी एव्हरफ्रेश	गणेश नगर	102
19-	वर्ध किराना	खंडवा रोड	45
20-	चांवला एव्हरफ्रेश	संत नगर	235
21-	साँई एजेन्सी	लिम्बोदी	68
22-	केकृटी. एव्हरफ्रेश	खंडवा रोड	51
23-	शिवशक्ति जनरल	लिम्बोदी	29
24-	हरिश पाटीदार	सिल्वर स्प्रिंग कालोनी	225
25-	रणजीतसिंह	रानीबाग	15
26-	हरिऔम बेकरी	अनुराधा नगर	93
27-	औम प्रोव्हीजन		38
28-	इनफोविन्स	IT चौराह	21
29-	SDPS गर्ल्स कालेज	खंडवा रोड	44
30	पलक किराना		34
		कुल	3041

नोट :- मार्ग पर वर्तमान मे हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ मे जमा रहेगी। गणना का आधार रु. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (3041 X 37 = 1,12,517 X 5 = 5,62,585/-)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
मार्ग क्रमांक - 27

क्रमांक	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान	विक्रय मात्रा (लीटर/प्रतिदिन)
1-	आशा यादव	वृन्दावन कालोनी	40
2-	MPEB (संघ पार्लर)	पोलोग्राउन्ड	130
3-	औम साँई राम	संगम नगर	55
4-	15 वीं बटालियन	15 वी बटालियन	132
5-	प्रदीप किराना	मरीमाता	205
6-	आर. जगदीश कुशवाह	कुशवाह नगर	50
7-	राजू चौहान	मरीमाता चौराह	65
8-	राकेश	वृन्दावन नगर	200
9-	संगम नगर "ए" (संघ डिपो)	संगमनगर	50
10-	संगम नगर "बी"	संगम नगर	1150
11-	सुन्दरम किराना	बाणगंगा	35
12-	स्वास्तिक किराना	बाणगंगा	130
13-	वृन्दावन "बी"	वृन्दावन नगर	80
14-	शंकर किराना	कुशवाह नगर	960
		कुल विक्रय मात्रा	3282

नोट :- मार्ग पर वर्तमान में हो रही दूध विक्रय मात्रा के मूल्य के 05 दिवस की राशि प्रतिभूति स्वरूप संघ में जमा रहेगी। गणना का आधार रू. 37/- प्रतिलीटर माना गया है।
उदाहरण - (3282 X 37 = 1,21,434 X 5 = 6,07,170/-)